

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईत्दादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 416/2024

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

1. वेदप्रकाश पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 टी के तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ़।
2. शिवप्रकाश पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 टी के तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ़।
3. कृष्ण लाल पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी 4 टी के तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ़।
4. अक्षय कुमार पुत्र शिवदत्त जाति बिश्नोई नि.रामपुरा तह. अबोहर जिला फाजिल्का पजाब - वादीगण बनाम

1. गंगाराम पुत्र दतराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
2. नारायण पुत्र सुखराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
3. बृजलाल पुत्र चिमनाराम जाति सुथार निवासी 12 केएसडी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मलू पुत्र सुखराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का
5. सोहन लाल उर्फ हनुमान पुत्र चिमनाराम जाति सुथार निवासी 12 केएसडी तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. हरभज पुत्र दतराम जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का

7. तहसीलदार राजस्व संगरिया  
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा रेलवे रोड़ सादुलशहर।

-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 11.7.2025

डिक्री

उक्त राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाने प्रमोद डेलू वकील वादीगण मिन जाकिन मुदई.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

क. सं.	नाम काश्तकार मय वल्लियत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काश्त अनुसार काश्तकार का नाम	कब्जा काश्त अनुसार रकबा
1	1 अक्षय कुमार पुत्र शिवदत्त 0.659 हि. 2 कृष्ण 0.633 हि. 3 वेदप्रकाश 0.693 हि. 4 शिवप्रकाश 0.693 हि. 5 गंगाजल 6.026 हि. 6 हरभज 6.025 हि. 7 पि. दतराम 7 रानारायण पत्र सुखराम 6.588 हि. 8 बृजलाल पुत्र चिमनाराम 0.053 हि. 9 मलू पुत्र सुखराम 6.588 हि. जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा 10 सोहनलाल पुत्र हनुमान पुत्र चिमनाराम 1.065 हि. जाति सुथार निवासी 12 केएसडी राहिन पीएनबी शाखा रेलवे रोड़ सादुलशहर	प.मं. रासूवाला के चक 11 केएसडी के खाता संख्या 75/50 खाते का योग 3.719 हैक्ट. (विवादित श्रेणी का है)	1 सोहन लाल पुत्र हनुमान पुत्र चिमनाराम जाति सुथार निवासी 12 केएसडी राहिन पीएनबी शाखा रेलवे रोड़ सादुलशहर अक्षय कुमार पुत्र शिवदत्त 1/4 हि. कृष्ण 1/4 हि. वेदप्रकाश 1/4 हि. शिवप्रकाश 1/4 हि. पि. रामलाल जाति बिश्नोई निवासी रामपुरा	प.न. 127/109 मु. न. 41 कि.न. 8,9,10/0.759 12/1/0.247, कुल-1.006 हेक्. नहरी शेष खाता बदस्तुर जमाबन्दी कुल 2.7113 है. नहरी मय गै.मु

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/1979 दिनांक 02.06.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुक्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयायी तक.....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.7.2025 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
महासचिव कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

